UPGK010100582025

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

सेशन केस संख्या– 2232/2025

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम श्रवण सिंह

अपराध संख्या- 461/2024,
धारा-69, 89, 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता
थाना- गीडा, जनपद- गोरखपुर।

20.03.2026

1. सत्र परीक्षण की पत्रावली आज आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। पूर्व नियत तिथि पर प्रार्थना पत्र कागज संख्या–6ख अंतर्गत धारा–250 भा०ना०सु०सं० पर उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

2. प्रार्थना–पत्र कागज संख्या–6ख पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

3. प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6ख के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त के द्वारा यह निवेदित किया गया है कि अपराध संख्या- 461/2024, धारा-69, 89, 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता, थाना- गीडा, जनपद- गोरखपुर के प्रकरण में उसे उन्मोचित किया जावे।

4. प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6ख में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा यह कथन किया गया है कि "पुलिस ने वादिनी के सहमति एवं षड्यन्त्र में गलत विवेचना कर झूठा आरोप–पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसमें लेशमात्र की भी कोई सच्चाई नहीं है। वादिनी मुकदमा संजना सिंह प्रार्थी श्रवण सिंह के चाचा के साले की साली है और बहुत दूर की रिश्तेदारी है और प्रार्थी के चाचा के ससुराल वालों के वहाँ पारिवारिक समारोह में प्रार्थी व प्रार्थी के घर वाले गए हुए थे जहाँ पर उन लोगों की मुलाकात हुई लेकिन कोई भी शादी या इनमें पारिवारिक रिश्ते की बात नहीं हुई थी। प्रार्थी को जब वादी मुकदमा संजना शादी के लिए दबाव बनायी तो प्रार्थी के घर वाले लड़की के बारे में जानकारी किए तो पता चला कि प्रार्थी के चाचा के लड़के के साथ भी उपरोक्त संजना का कई वर्षों तक प्रेम सम्बन्ध रहा उसके बाद उनके चाचा के भाई के लड़के के साथ भी सम्बन्ध रहा और प्रार्थी के भतीजे के साथ भी व गाँव के कई अन्य लोगों के साथ भी प्रेग प्रसंग रहा। जब उपरोक्त संजना के बैकग्राउण्ड के बारे में पता किए तो उपरोक्त बातें सामने आयी तो पारिवारिक सम्मान और

सामाजिक स्थिति खराब न हो जिसके कारण प्रार्थी श्रवण व उसके घर वाले उपरोक्त संजना से शादी करने से इन्कार कर दिये उसके बाद कई बार संजना प्रार्थी से मोबाईल से बात की और शादी का दबाव बनाया और ब्लैकमेल करने की धमकी देने लगे। प्रार्थी व प्रार्थी के घर वाले स्पष्ट मना कर दिये तो एक झूठी व मनगढन्त कहानी बनाकर ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से उपरोक्त मुकदमें में सम्पृक्त कर दिये। उपरोक्त संजना वादी मुकदमा द्वारा कई लोगों के साथ प्रेम सम्बन्ध होने का साक्ष्य व व्हाट्सअप चैटिंग का रिकार्ड साक्ष्य के तौर पर प्रार्थी के पास मौजूद है जो इस जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है जिसका मोबाईल नम्बर व्हाट्सअप नं०-6307891157 है। लड़की पूर्णतया बालिग है जिसकी उम्र 25 वर्ष है जो अपना उच-नीच समझने के बावजूद भी प्रार्थी श्रवण को परेशान व ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से शादी के झांसे के नाम पर शारीरिक सम्बन्ध बनाने का झूठा शिकायती प्रार्थना-पत्र देकर प्रार्थी को मुल्जिम बना दिया जबकि प्रार्थी ने कोई भी ऐसा अपराध कारित नहीं किया है। वादिनी मुकदमा संजना द्वारा गर्भपात कराने की कोई भी मेडिकल साक्ष्य न तो अल्ट्रासाउण्ड का न तो गर्भपात का ही अपने शिकायती प्रार्थना-पत्र में दिया गया है कोई भी हास्पिटल गैर- कानूनी तौर पर किसी भी महिला का गर्भपात नहीं करता है ऐसे में उपरोक्त हास्पिटल का नाम भी झूठे तौर पर दिया गया है। वादिनी द्वारा प्रथम सूचना आख्या एवं बयान में जो भी तारीख का जिक्र किया गया है वह सभी झूठी है जबकि उक्त तिथियों पर प्रार्थी हैदराबाद था और वादिनी जिस हास्पिटल में एबार्सन की बात बताती है वह हास्पिटल पुलिस की तफ्तीश में है ही नहीं और पुलिस विवेचना में विवेचक ने अपने पर्चे में भी कहा है कि उक्त नाम का हास्पिटल घटना के समय या एबार्शन के तिथि में था। उपरोक्त मेडिकल साक्ष्य पीड़िता/वादिनी अपने रिश्तेदारों की मदद से जो मेडिकल लाईन से जुड़े हैं उनसे मिल कर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट, अल्ट्रासाउण्ड व एवार्सन साक्ष्य पेश किया है जिसकी फोरेंसिक जाँच करा लिया जाय और प्रार्थी के सी०डी०आर० लोकेशन की जाँच करवा लिया जाय। वादिनी द्वारा जो घटना की तिथि और मेडिकल जाँच की बात कही गयी है उस समय प्रार्थी कहा था जबकि वादिनी अपने एफ०आई०आर० में ही विरोधाभाषी बातें कही हैं और कहती है कि 24/8/24 को अल्ट्रासाउण्ड हुआ बेतियाहाता, दिनांक 24/8/24 को पादरी बाजार उक्त हास्पिटल में जाकर गर्भपात करवाया फिर कहती है कि 26/7/24 को दिन भर साथ थे और गर्भपात कराने के बाद सभी साथ आये ऐसे में सारे प्रपत्र एकत्रित करके विवेचना में दिया गया है कि वादिनी मात्र प्रार्थी की जीवन बर्बाद करने के उद्देश्य से फर्जी मुकदमा पंजीकृत करवाया है। पुलिस संबंधित ने प्रकरण की न तो ईमानदारी से विवेचना की है न ही उक्त प्रकरण से संबंधित कोई सन्तोषजनक साक्ष्य संकलित किया था। वादीनी मुकदमा की सहमति एवं षड्यन्त्र में झूठी कहानी गढ़कर झूठा साक्ष्य संकलन दिखाकर आरोप पत्र प्रेषित कर दिया है। वादिनी मुकदमा प्रार्थी के द्वारा शारीरिक सम्बन्ध बनाने की बात कही है जो बिल्कुल गलत है और अगर संबंध स्थापित भी किया है तो दोनों की आपसी सहमति से ही हुआ होगा। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।" प्रार्थना-पत्र में वर्णित आधारों पर प्रार्थी को उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी।

5. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6ख में उल्लिखित तथ्यों का घोर विरोध किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त की कथित

अपराध में सक्रिय भागिता एवम् भूमिका पाते हुए उनके विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया है। विवेचक के समक्ष दिये गये कथन में पीड़िता के द्वारा कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता के बिन्दु पर स्पष्ट कथन किया गया है। उनके द्वारा प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6ख आधारहीन एवम् बलहीन होना बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6. पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 22.09.2024 को, अन्तर्गत थाना– गीडा, जनपद– गोरखपुर में घटित घटना की प्राथमिकी, जिसमें प्रथम सूचनाकत्री/वादिनी/पीड़िता द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने व गर्भधारण के पश्चात् उसका एबार्शन करवाने का कथन किया गया था।

8. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 22.09.2024 को समय 23.28 बजे, थाना– गीडा, जनपद–गोरखपुर में अभियुक्तगण श्रवण सिंह, आदिशक्ति व श्रवण सिंह की माता के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या– 461/2024 अन्तर्गत धारा-69, 89, 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत पंजीकृत की गयी। विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना की गई, दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादी मुकदमा का बयान अंकित किया गया, घटनास्थल का नक्शा–नजरी तैयार किया गया, वादिनी का बयान अंतर्गत धारा 183 भा०ना०सु०सं० दर्ज कराया जाना सुनिश्चित किया गया। विवेचक द्वारा विवेचना की सभी औपचरिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त श्रवण सिंह के विरूद्ध धारा– 69, 89, 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है एवं विवेचना के दौरान संकलित किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए दिनांक 19.12.2024 को संज्ञान लिया गया है। स्वीकार्य रूप से आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध लिए गए संज्ञान आदेश दिनांकित 19.12.2024 को आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कहीं चुनौती नहीं दी गई।

9. विवेचक द्वारा केस डायरी में बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा **180 बीएनएसएस** दर्ज किया गया है जिसमें पीड़िता बयान दिया है कि मेरा नाम संजना पुत्री राम दरस निवासी सहीजना थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर की रहने वाली हूँ, मेरी उम्र 25 वर्ष मैं BA तक पढ़ी हूँ। मैं श्रवण सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी कोदरी थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर का रहने वाला है जिससे मेरी बातचीत लगभग डेढ़ साल से मेरी बातचीत वह प्रेम संबंध था श्रवण ने 28 अगस्त 2023 को मुझे पहली बार अवध पैलेस होटल में मिलने बुलाया और मुझसे कहा कि मैं शादी करूँगा तुमसे फिर श्रवण ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। मेरी फोटो खींच लिया वह मुझे ब्लैकमेल करके वह मुझे होटल में कई बार बुलाता था वही मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए जिससे मैं गर्भवती हो गई थी। तब मैंने शादी करने के लिए बोला तो उसने कहा गर्भपात करवा लो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा

वह मुझे 14.06.24 को उत्कर्ष अस्पताल में ले जाकर मेरा गर्भपात करवा दिया फिर उसके बाद उसने 24.07.24 को बुलाया कहा कि चलो तुम्हें डाक्टर को दिखा दूँ फिर उसने मुझे डॉक्टर के पास ले जाकर टिबाया और दवा दिलवाकर लौटते समय वह मुझे अवध पैलेस होटल में ले गया फिर उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया तब मैंने उससे शादी करने को बोला उसने शादी न करने से इन्कार कर दिया था फिर मैंने उनके घर वालों को बताया तो उनकी बहन आदि शक्ति ने मुझे गाली देकर बोली दूर के रिश्तेदारी से शादी नहीं होगी श्रवण वह उनके सभी घर वाले मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे है, यही मेरा बयान है।

9.1 बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा **183 बीएनएसएस**– मेरा नाम संजना है मेरी उम्र 25 वर्ष है। मेरी और सरवन की बात होती थी। 28.08.2023 में सरवन ने मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए फोटो वीडियो भी बनायी। जनवरी व फरवरी में भी शारीरिक संबंध बनाये, शादी का झांसा देकर बनाए थे। मार्च में मैं गर्भवती हो गयी। 24.6.2024 मैं सरवन के पिता दिनेश सिंह सरवन और आदि शक्ति ने मेरा बच्चा गिरवा दिया। 24.07.2024 को फिर से शारीरिक संबंध बनाये शादी का झांसा देकर 12.8.2024 को सरवन ने शादी से मना कर दिया। आदि शक्ति से शादी का जब बोला तो उन्होंने गाली दी। बैठक में भी गाली देकर चले गये। मारने को भी धमकी दी।

10. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं मौखिक तर्क में विरोधाभास एवं अन्य तथ्य के बाबत जो उन्मोचन का आधार बताया गया है वह आधार/तर्क विचारण के दौरान निर्णय के स्तर पर देखा जाना है। आरोप के स्तर तक मात्र प्रथम दृष्टया ही मामला देखा जाना होता है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर प्रथम दृष्टया मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है।

11. यहाँ यह भी उल्लिखित किया जाना समीचीन है कि इस प्रक्रम पर मामले में साक्ष्य की विवेचना गुण–दोष के आधार पर की जानी अपेक्षित नहीं है। अपितु अभियोजन द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह समाधान किया जाना है कि मामले में अग्रिम कार्यवाही के लिए आधार पर्याप्त है या नहीं, जैसा कि उपरोक्त उद्धरित अभियोजन कथानक एवम् केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य से यह परिलक्षित है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा– 69, 89, 351(3), 352 का आरोप लगाये जाने हेतु प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है। आवेदक/अभियुक्त को कथित अपराध से इस स्तर पर उन्मोचित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है।

12. आरोप विरचित किये जाने के संदर्भ में **माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अपने न्यायिक दृष्टान्त सुप्रीन्टेंडेन्ट एण्ड रिमेंम्ब्रेंसर ऑफ लीगल अफेयर्स, वेस्ट बंगाल विरूद्ध अनिल कुमार भुन्जा ए०आई०आर० 1980 सु० को० 52 (एफ०बी०)** में यह अवधारित किया है कि–

"At this stage, as was pointed out by this Court in State of Bihar v. Ramesh Singh' AIR 1977 SC 2018, the truth veracity and effect of the evidence which the prosecutor proposes to adduce are not to be meticulously judged. The standard of test, proof and judgment which is to be applied finally before finding the

accused guilty or otherwise is not exactly to be applied at the stage of Section 227 or 228 of the Code of Criminal Procedure, 1973. At this stage, even a very strong suspicion founded upon materials before the Magistrate, which leads him to form a presumptive opinion as to the existence of the factual ingredients constituting the offense alleged may justify the framing of charge against the accused in respect of the commission of that offence."

उक्त न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर साक्ष्य की सत्यता तथा प्रकरण की सूक्ष्मता से विवेचना करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रम पर यदि अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के सन्दर्भ में सन्देह भी उत्पन्न होता है तब भी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप की विरचना की जा सकती है।

13. **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त स्टेट ऑफ एम०पी० विरूद्ध एस०बी० जौहरी (ए०आई०आर० 2000 सु० को० 665)** में यह अवधारित किया गया है कि–

"It is settled law that at the stage of framing the charge, the court has to prima facie consider whether there is sufficient ground for proceeding against the accused. The Court is not required to appreciate the evidence and arrive at the conclusion that the materials produced are sufficient or not for convicting the accused. If the Court is satisfied that a prima facie case is made out for proceeding further then a charge has to be framed."

14. इसी प्रकार **दाण्डिक अपील संख्या–1578/2008 संघी ब्रदर्श (इंदौर) प्रा0लि0 बनाम संजय चौधरी व अन्य निर्णीत दिनांकित 03.10.2008** के अपने सम्मानित निर्णय के पैरा–11 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उल्लिखित किया है कि– "The present case is not one where the High Court ought to have interfered with the order of framing the charge. As rightly submitted by learned counsel for the appellant, even if there is a strong suspicion about the commission of offence and the involvement of the accused, it is sufficient for the court to frame a charge. At that stage, there is no necessity of formulating the opinion about the prospect of conviction. That being so, the impugned order of the High Court cannot be sustained and is set aside. The appeal is allowed."

15. विधि व्यवस्था **महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा 1996 क्रिमिनल लॉ जनरल 2448 (सुप्रीम कोर्ट)** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि यह उपधारणा करने के लिये आधार है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है, तो न्यायालय न्यायोचित रूप से तो यह कह सकती है कि प्रथम दृष्टया उसके विरूद्ध मामला बनता है अर्थात यदि अभिलेख पर सामग्री के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपराध कारित किये जाने की सम्भावना बनती है, तो आरोप तैयार करने का मामला बनता है। दूसरे शब्दों में यदि न्यायालय यह समझती है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया होगा, तो वह आरोप तैयार कर सकता है, किन्तु दोषसिद्ध करने के लिये यह निष्कर्ष आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया। यह स्पष्ट है कि आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सम्भाव्यतापरक मूल्यांकन होना चाहिए। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाई गयी सामग्री को उस प्रक्रम पर सत्य मानकर स्वीकार करना चाहिए। विधि का यह सुस्थापित एवं मान्य सिद्धान्त है कि आरोप गम्भीर सन्देह के आधार पर भी विरचित किया जा सकता है। विधि व्यवस्था **हीरा लाल तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा**

अन्य 2017 (2) जू0क्रि0के0 1522 के अपने सम्मानित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कहा है कि आरोप बनाते समय न्यायालय को यह देखना आवश्यक नहीं है कि क्या उपलब्ध साक्ष्य दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त है। इस स्तर पर यही देखा जाना पर्याप्त है, कि जिससे यह अन्देशा निकले कि क्या अभियुक्त ने तथाकथित अपराध कारित किया है या नहीं? इसी प्रकार विधि व्यवस्था **राजपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2017 (2) जे0क्रि0के0 1797** के अपने सम्मानित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कहा है कि आरोप निर्मित करते समय केवल अभिलेख पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य को अंकलित किया जाना चाहिए भले ही प्रबल सन्देह दृष्टिगत होता है फिर भी इस स्तर पर आरोप मुक्ति के लिये अपर्याप्त है।

16. **पलविन्दर सिंह प्रति बलविन्दर सिंह 2009 (65) ए.सी.सी. 399 (सुप्रीम कोर्ट) तथा स्टेट एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली प्रति शिव चरन बंसल (2020) 2 एस.सी.सी 290** के मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– "Charge can be framed also on the basis of strong suspicion. Marshalling and Appreciation of evidence is not in the domain of the court at that point of time."

17. अतएव सम्पूर्ण तथ्यों एवम् परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त श्रवण सिंह को अपराध से उन्मोचित किये जाने का कोई औचित्य विद्यमान नहीं है।

18. निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त श्रवण सिंह की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6ख निरस्त किये जाने योग्य है। **यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थना–पत्र के निस्तारण में जो भी संप्रेक्षण दिये गये है वे मात्र इस प्रार्थना पत्र तक ही सीमित होगें। इनका कोई प्रभाव मामले के गुण–दोष पर नहीं पड़ेगा।**

आदेश

19. आवेदक/अभियुक्त श्रवण सिंह द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना–पत्र कागज संख्या–6ख निरस्त किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त आरोप की विरचना हेतु दिनांक 21.04.2026 को पेश हो। आवेदक/अभियुक्त नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

दिनांक/गोरखपुर
20 मार्च, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.20 16:25:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court